[2023] 6 एस. सी. आर 601

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद

वी.

भारत और अन्य का संघ

(आई. ए. नं. 131377 , 147102 , 195467 , 195468 , 205092 2022 और अन्य)

में।

(1995 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 202)

26 अप्रैल, 2023

[बी. आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे. जे.]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 आर। 5- पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ई. एस. जेड.)-वनों का संरक्षण

ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से न्यूनतम एक किलोमीटर का ई. एस. जेड. मापने के लिए अभयारण्य, जिसमें आई. डी. 1 के दिशानिर्देशों में निषिद्ध और निर्धारित गतिविधियों का सख्ती से पालन किया जाएगा; कि उन गतिविधियों के संबंध में जो पहले से ही एक किलोमीटर या विस्तारित बफर ज़ोन-ई. एस. जेड. के भीतर की जा रही थीं और जो ई. एस. जेड. दिशानिर्देशों के तहत निषिद्ध नहीं थीं, ऐसी गतिविधियों को प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से जारी रखा जाए; और ई. एस. जेड. के भीतर आने के लिए किसी भी नई स्थायी संरचना की अनुमति नहीं है-मांगे गए निर्देशों का संशोधन/स्पष्टीकरणः दिनांक 1 के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में निर्देश को संशोधित और स्पष्ट किया गया है-ईएसजेड के रूप में घोषित किया जाने वाला क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता है और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होगा-कुछ मामलों में, यह एक तरफ 10 किलोमीटर और दूसरी तरफ 500 मीटर हो सकता है-इस तरह, एक समान एक किलोमीटर ईएसजेड निर्धारित करने वाले निर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए-संरक्षित क्षेत्रों की सीमा के एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर खनन गतिविधियाँ वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी, ऐसे निर्देश अखिल भारतीय आधार पर जारी किए जाएंगे। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में-साथ ही इसमें निहित निर्देश लागू नहीं होंगे जहां राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर-राज्य सीमाओं पर स्थित हैं और/या साझा हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान सीमाएँ-पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देश हैं

पर्यावरण और वन मंत्रालय और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया ताकि वे 9.02.2011 के दिशानिर्देशों में प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और इसी तरह ESZ अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों का भी; और परियोजना के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी देते समय

दिनांकित ओ. एम. में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए ई. एस. जेड. और संरक्षित क्षेत्रों, भारत संघ के साथ-साथ विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बाहर अन्य क्षेत्रों में गतिविधियाँ

17.05.2022 एमओईएफ एंड सीसी-पर्यावरण कानूनों द्वारा जारी किया गया।

आई. ए. का निपटान, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 यदि इस न्यायालय द्वारा 3 जून 2022 के आदेश के अनुच्छेद 56.5 में जारी किए गए निर्देश को जारी रखा जाता है, तो पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों-ई. एस. जेड. में किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी स्थायी संरचना को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सैकड़ों देश में कई गाँव ई. एस. जेड. के भीतर स्थित हैं। यदि किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी है, तो

जो ग्रामीण अपने घर का पुनर्निर्माण करना चाहता है, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, यदि उनके परिवार में विस्तार होता है और बड़े परिवार को समायोजित करने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता होती है, तो भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, अगर सरकार स्कूलों, औषधालयों, आंगनवाड़ियों, गाँव की दुकानों, पानी की टंकी और अन्य बुनियादी संरचनाओं का निर्माण करने का निर्णय लेती है। ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का प्रभाव राज्य या केंद्र सरकार को सड़कों के निर्माण से रोकने के लिए होगा और

गाँव वालों को अन्य सुविधाएं प्रदान करें। [पैरा 48] [629-सी-ई] 1.2 यदि 3 जून 2022 के आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है, तो वन विभागों के लिए भी ऐसा करना असंभव होगा

राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास पर्यावरण-विकास गतिविधियाँ और

अभयारण्य। वन्यजीवों की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के लिए लाभ के प्रावधान के दोहरे उद्देश्यों के साथ उक्त गतिविधियों की आवश्यकता है। एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. केंद्र प्रायोजित योजना-वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें पर्यावरण-विकास गतिविधियों के लिए सहायता शामिल है। इन गतिविधियों में अक्सर छोटी संरचनाओं का निर्माण शामिल होता है जो ईएसजेड सहित क्षेत्रों में स्थायी प्रकृति की होती हैं। [पैरा 49] [629-ई-जी] आरई मेंः

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और अन्य का संघ

1.3 विभिन्न विनियमित और अनुमेय गतिविधियाँ हैं। राष्ट्रीय और रणनीतिक क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं भी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण जैसे महत्व। 3 जून 2022 के आदेश के 56.5 में दिए गए निर्देश का प्रभाव यह है कि ऐसी सभी गतिविधियों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने 17 मई 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी गतिविधि, जब किसी अधिसूचित ई. एस. जेड. में आयोजित की जाती है, या राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मामले में, जिनके लिए कोई ई. एस. जेड. अंततः अधिसूचित नहीं किया गया है, जब ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के 10 किलोमीटर के भीतर आयोजित की जाती है, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी के अलावा एन. बी. डब्ल्यू. एल. या इसकी स्थायी समिति के विचार और सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट ई. एस. जेड. अधिसूचना के अनुसार विनियमित गतिविधियों के लिए उस अधिसूचना के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, अनियंत्रित निर्माण और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं जो हो सकते हैं

वन्यजीव आवासों के विकास और रखरखाव के लिए हानिकारक। यदि 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देश कि मौजूदा गतिविधियों को जारी रखने के लिए भी, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पीसीसीएफ की अनुमति आवश्यक होगी, अपरिवर्तित रहता है, यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सैकड़ों गांव होंगे जिनमें लाखों लोग रहेंगे, तो पीसीसीएफ के पास ऐसी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति के लिए ऐसे आवेदनों पर विचार करने के अलावा कोई अन्य नौकरी नहीं बचेगी। कृषि गतिविधियों को जारी रखने के इच्छुक किसान को भी इस तरह की अनुमति लेनी होगी। इस तरह के निर्देश को लागू करना असंभव है। [पैरा 50] [630-बी-जी]

1.4 अगर इस तरह की दिशा को जारी रखा जाता है, तो बचने के बजाय

मनुष्य-पशु संघर्ष, यह उसी को तेज करेगा। जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में देखा गया है, ईएसजेड घोषित करने की आवश्यकता नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुमूल्य वनों/संरक्षित क्षेत्रों को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पर्यावरण को परिष्कृत करना है। [पैरा 51] [630-जी-एच] [2023] 6 एस. सी. आर.

1.5 ई. एस. जेड. की आवश्यकता संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक बफर ज़ोन प्रदान करना है। रहने वाले ग्रामीणों के अधिकार

संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निहित प्रावधानों के अनुसार बसाया जाना आवश्यक है और ऐसे ग्रामीणों का संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पुनर्वास किया जाता है। हालाँकि, ई. एस. जेड. क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अधिकारों का ऐसा कोई समझौता उपलब्ध नहीं है। जैसा कि इसमें कहा गया है।

दिशा-निर्देश, ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है। यदि जारी किए गए निर्देश को जारी रखा जाता है, तो यह निश्चित रूप से ईएसजेड में रहने वाले नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालेगा। इस प्रकार, उक्त दिशा को संशोधित करने की आवश्यकता है। [पैरा 52] [631-ए-सी]

1.6 जहां तक 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में दिए गए निर्देश का संबंध है, विभिन्न आदेशों का अवलोकन किया जाएगा।

यह प्रकट करता है कि इस न्यायालय ने ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की सीमांकित सीमा से किसी भी न्यूनतम क्षेत्र का निर्देश नहीं दिया है। ई. एस. जेड. के रूप में घोषित किया जाने वाला क्षेत्र एक समान नहीं हो सकता है और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होगा। कुछ मामलों में, यह एक तरफ 10 किलोमीटर और दूसरी तरफ 500 मीटर हो सकता है। कुछ मामलों में, यह हो सकता है

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के तहत निर्धारित ई. एस. जेड. एस. को उक्त अधिसूचना के अनुसार होना चाहिए। [पैरा 55] [631 डी-एफ] 1.7 जैसा कि 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत आवश्यक है, किसी भी अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले, एक मसौदा अधिसूचना है -

आधिकारिक राजपत्र में और ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करने की आवश्यकता है जो केंद्र सरकार से आवश्यक समझे

समय-समय पर। इस तरह की मसौदा अधिसूचना पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज करने का हकदार है। केंद्र सरकार को मसौदा अधिसूचना का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि सभी इच्छुक व्यक्तियों को ऐसी मसौदा अधिसूचना जारी करने के बारे में जानकारी हो। [पैरा 56] [631-जी-एच; 632-ए] आरई मेंः

1.8 उक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद, मामले को 13 संगठनों की विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है सापेक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता होना। इस प्रकार, ई. एस. जेड. क्षेत्र को निर्दिष्ट करने से पहले, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे कई कारक हैं जो किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के लिए ई. एस. जेड. निर्धारित करेंगे। परिस्थितियाँ एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। इस प्रकार, एक समान एक किलोमीटर ई. एस. जेड. निर्धारित करने वाली दिशा को संशोधित करने की आवश्यकता है। [पैरा 57] [632-बी-सी]

1.9 वर्तमान आवेदन दाखिल करने की तिथि पर, अंतिम

474 संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं जबकि 102 संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। 73 प्रस्ताव लंबित हैं। इस न्यायालय ने पहले ही उक्त दिशानिर्देशों को उचित पाया है और

उसी को स्वीकार किया। न्यायालय ने एन. बी. डब्ल्यू. एल. की स्थायी समिति के इस विचार को भी स्वीकार कर लिया है कि ई. एस. जेड. के रखरखाव के लिए प्रत्येक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में समान दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं। यद्यपि न्यायालय ने कहा है कि ए

ई. एस. जेड. में न्यूनतम एक किलोमीटर की चौड़ाई को बनाए रखा जाना चाहिए, 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.6 में ही यह देखा गया है कि ई. एस. जेड. की न्यूनतम चौड़ाई को भारी जनहित में कम किया जा सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र से संपर्क करने की आवश्यकता है। अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) और एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. ये दोनों निकाय इस न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी सिफारिशें देंगे और उस आधार पर न्यायालय को उचित आदेश पारित करना चाहिए।

[पैरा 58] [632-सी-एफ]

1.10 ई. एस. जेड. को 1986 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिसूचित किया जाना आवश्यक है और उक्त

3 जून 2022 को भी संशोधित करने की आवश्यकता है। [पैरा 59] [632-जी] 1.11 जहाँ तक खनन पर प्रतिबंध का संबंध है, इस न्यायालय का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि खनन गतिविधियाँ [2023] 6 एस. सी. आर.

गोवा राज्य के इस तरह के निर्देश अखिल भारतीय आधार पर जारी किए जाने की आवश्यकता है। [पैरा 60] [632-एच; 633-ए] 1.12 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में दिए गए निर्देश को संशोधित किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि इसमें निर्देश शामिल हैं।

इसमें ई. एस. जेड. लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा एक मसौदा और अंतिम अधिसूचना जारी की गई है और मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में। हालाँकि, केंद्र सरकार को व्यापक रूप से निर्देश दिया गया है

मसौदा अधिसूचना को प्रचार दिया जाना चाहिए जिसे 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (ए) के प्रावधानों के तहत प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के तहत इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी नहीं किया जाएगा। यह आगे निर्देश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यथित है

1.13 यह स्पष्ट किया जाता है कि 3 जून 2022 के आदेश के अनुच्छेद 56.1 में निहित निर्देश लागू नहीं होगा। जहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर-राज्य सीमाओं पर स्थित हैं और/या समान सीमाएँ साझा करते हैं। 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.4 में निहित निर्देश को संशोधित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। [पैरा 64,65] [633-ई-एफ]

1.14 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देशों को संशोधित किया गया है और निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः (i) एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उक्त प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगी।

9 फरवरी 2011 के दिशा-निर्देश और इसी तरह प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में संबंधित संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित ईएसजेड अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान, विनियमित

गतिविधियाँ और अनुमेय गतिविधियाँ; आर. ई.:

टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और अन्य का संघ

((ii) पर्यावरण और वन मंजूरी देते समय

ई. एस. जेड. और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अन्य क्षेत्रों में परियोजना गतिविधियों के लिए, भारत संघ के साथ-साथ विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा 17 मई 2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगी। [पैरा 66] [633-जी-एच; 634-ए-बी]

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम यू. ओ. आई. (2006) 5 एस. सी. सी.

25 ; टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम यू. ओ. आई. (2010) 13

एस. सी. सी. 740; गोवा फाउंडेशन बनाम। यू. ओ. आई. (2011) 15 एस. सी. सी.

791 ; गोवा फाउंडेशन बनाम। भारत संघ और अन्य (2014) 6 एस. सी. सी. 590 [2014] 5 एस. सी. आर. 305 को संदर्भित किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

(2022) 10 एस. सी. सी. 544

पैरा 1

संदर्भित किया गया है

(2006) 5 एससीसी 25

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

(2010) 13 एस. सी. सी. 740

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

(2011) 15 एस. सी. सी. 791

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[2014] 5 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. नं. 131377 , 147102 ,

195467 , 195468 , 205092 2022 का आई. ए. सं. 162283 और 2022 का 162284 2022 के आई. ए. डी. सं. 125746 में

के साथ आई . ए. नं. 118604 , 118606 , 119400 , 119401 , 119404 , 137132 , 137138 ,

137140 और 2022 का 137143, आई. ए. Nos.5764,6804 और 2023 का 10911

इस मामले में:

1995 की लिखित याचिका (सिविल) No.202

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) ए. डी. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। (न्यायमित्र), के. परमेश्वर, (न्यायमित्र)

क्यूरी) सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री कांति, अधिवक्ता।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी, निखिल गोयल, ए. ए. जी, जयदीप गुप्ता,

वी. के. शुक्ला, के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री सुहासिनी सेन, एस. एस. रेबेलो, श्याम गोपाल, राघव शर्मा, सुघोश सुब्रमण्यम, डॉ. अरुण कुमार यादव, सुश्री.

सबीना शाहिद, निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के जॉय, आलिम अनवर, राजीव [2023] 6 एस. सी. आर.

कुमार दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., शोभित द्विवेदी, वी. के. बीजू, सुश्री रिया सचथे, चेतन्या सिंह, डॉ. रंजीत भारती, एम. के. एस. मेनन, सुश्री उषा नंदिनी वी., बीजू पी. रमन, रवि लामोद, अरुण कुमार जायसवाल, विल्स मैथ्यू, वी. एन. रघुपति,

मनेन्द्र पाल गुप्ता, आदित्य रॉय, दीपक प्रकाश, रानीव दहिया, पवन कुमार। डबास, नचिकेता वाजपेयी, सुश्री दिव्यांगना मलिक, सुश्री. विष्णु प्रिया, श्याम नायर, वर्धन कपूर, सुश्री दिशा गुप्ता, गौतम एस. भारद्वाज, सुश्री मानवी भंडारी, अश्विन कुमार डी. एस., सुश्री सुरभी मेहता, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

के. एम. नटराज, सुखबीर सिंह, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एमसी ढींगरा, गौरव ढींगरा, विक्रांत यादव, सुश्री विजय लक्ष्मी,

मजूमदार, मुकेश के. वर्मा, नीरज के. शर्मा, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री प्रियंका शर्मा, हरेंद्र सिंह, अंबुज सारस्वत, पी. एस. सुधीर, सनी चौधरी, अभिमन्यु सिंह, सुश्री मनिका प्रिया, श्रीमती कीर्ति। रेणु मिश्रा, डॉ. मोनिका गुसैन, गोवर्धन भारद्वाज, पी. के. मनोहर, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री अर्चना पाठक दवे, शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, अक्षय कुमार, नवीन कुमार, जेम्स पी. थॉमस, श्रीमती निरंजना सिंह, धवल मेहरोत्रा, बी. के. पाल, सुश्री शालिनी कौल, सर्वम रितम खरे, गौरव अग्रवाल, शुभ्रांशु पाधी, अरविंद

एस, सुश्री उमा भुवनेश्वरी। सी, अब्बास। बी, एम/एस। डी. एस. के. लीगल, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, मृणाल गोपाल एल्कर, अर्पित प्रकाश, सुश्री शुभांगी

अग्रवाल, मिलिंद कुमार, गोपाल बलवंत साठे, सुश्री सुहासिनी सेन, नमन टंडन, पीयूष बेरीवाल, समरवीर सिंह, धनंजय महापात्रा, अमरीश कुमार, टी. एस. सबरिश, कौशिक चौधरी, संदीप कुमार झा, सुश्री अंजू। के. वर्की, अभिषेक अत्रे, डॉ. अभिषेक अत्रे, सुश्री अंबिका अत्रे, सुश्री विद्युतमा झा, आकाश गिरी, एम. आर. शमशाद, अजय मारवाह, नवीन कुमार, गुंटूर प्रमोद कुमार, सुश्री मयूरी रघुवंशी, मेसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, अभिनव मुखर्जी, अक्षय सी. श्रीवास्तव, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री रुचिरा गोयल, सुश्री सुरभी मेहता, सुश्री आदर्श नैन, आनंदो मुखर्जी, सिद्धार्थ झा, ए. कार्तिक, सुश्री सीता वैद्यलिंगम, मैसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, विनोद शर्मा, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, निशांत पाटिल, पराग एम. श्रॉफ, निशित अग्रवाल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य ए. पांडे, भारत बागला, सौरव सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और अन्य का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था बी. आर. गवई, जे.

आई. ए. नहीं। 131377 2022 का वर्षः

1. वर्तमान आई. ए. भारत संघ द्वारा दायर किया गया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 3 जून को पारित आदेश के स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया है।

2003 के आई. ए. सं. 1000 में 1995 के डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 202 में।

2. आवेदक विशेष रूप से 3 जून 2022 के आदेश के पैराग्राफ 56.1 और 56.5 में दिए गए निर्देशों में संशोधन चाहता है। उक्त अनुच्छेदों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" 56.1 . प्रत्येक संरक्षित वन, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में न्यूनतम एक किलोमीटर का ईएसजेड मापा जाना चाहिए।

ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से जिसमें 9 से 2 2011 के दिशानिर्देशों में निषिद्ध और निर्धारित गतिविधियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के लिए, यह 500 मीटर होगा जहाँ तक मौजूदा गतिविधियाँ हैं।

चिंतित हैं।

प्रत्येक राज्य या संघ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्र और ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

स्थिति छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के इस बात से संतुष्ट होने के बाद ऐसी अनुमति दी जाएगी कि संबंधित गतिविधियाँ निषिद्ध सूची में नहीं आती हैं और इस आदेश को वैध तरीके से पारित करने से पहले जारी थीं। किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी नए स्थायी ढांचे को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई. एस. जेड. के भीतर "।

3. 3 जून 2022 (उपरोक्त) के आदेश के पैराग्राफ 56.1 का स्पष्टीकरण/संशोधन इस हद तक मांगा गया है कि पर्यावरण-संवेदनशील (संक्षेप में, "ईएसजेड") जिन्हें पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है (अंतिम और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा)

संक्षेप में, "एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी".) या जिनके लिए मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन्हें उसमें दिए गए निर्देशों से छूट दी जाएगी। आवेदक ने इस हद तक संशोधन करने की भी मांग की कि 3 जून 2022 (उपरोक्त) के आदेश के अनुच्छेद 56.1 को लागू नहीं किया जा सकता है जहां राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य अंतर-राज्य सीमाओं और/या आम सीमाओं के साथ स्थित हैं। निर्देश में संशोधन/स्पष्टीकरण

3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.5 को पूरी तरह से अतिरिक्त रूप से मांगा गया है।

4. हमने सुश्री ऐश्वर्या भाटी को सुना है, जिन्होंने अतिरिक्त सीखा

आवेदक, श्री के. परमेश्वर की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में, "एएसजी"), विद्वान न्याय मित्र के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील।

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास ईएसजेड की घोषणा के लिए दिशानिर्देश)। उक्त दिशानिर्देश राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (इसके बाद "एन. बी. डब्ल्यू. एल". के रूप में संदर्भित) और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से परामर्श करने के बाद तैयार किए गए थे। उक्त दिशानिर्देश घोषणा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं ई. एस. जेड. के रूप में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्र। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त दिशानिर्देशों में ही विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्हें निषिद्ध, विनियमित और अनुमत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देश के कारण बहुत नुकसान होने की संभावना है।

ई. एस. जेड. में रहने वाले नागरिकों के लिए कठिनाई। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि

उक्त निर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि कोई गतिविधि पहले से ही एक किलोमीटर या विस्तारित बफर ज़ोन (ईएसजेड) के भीतर की जा रही है, और जो उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध गतिविधियों के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसी गतिविधियाँ प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संक्षेप में, "पीसीसीएफ") और ऐसी स्थिति में ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की अनुमति से जारी रह सकती हैं। छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा। उक्त दिशानिर्देशों में आगे यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी अनुमति एक बार पी. सी. सी. एफ. के संतुष्ट होने के बाद दी जाएगी कि संबंधित गतिविधियाँ निषिद्ध सूची में नहीं आती हैं और इस न्यायालय के 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश को वैध तरीके से पारित करने से पहले जारी थीं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह निर्देश कि आई. एन. आर. ई. को किसी भी नए स्थायी ढांचे की अनुमति नहीं दी जाएगीः

ई. एस. जेड. के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए आने से भी बहुत कठिनाई होगी। 7. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक 3 जून 2022 (उपरोक्त) के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में दिए गए निर्देश का संबंध है, यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक संरक्षित वन, यानी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य में न्यूनतम एक किलोमीटर का ईएसजेड होना चाहिए।

ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित सीमा जिसमें उक्त दिशानिर्देशों में निषिद्ध और निर्धारित गतिविधियों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जहाँ तक जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का संबंध है, यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान गतिविधियों के लिए ईएसजेड 500 मीटर का होगा।

वे चिंतित हैं।

8. विद्वान ए. एस. जी., न्यायमित्र और वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

विभिन्न राज्यों की ओर से प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में, ईएसजेड के लिए सीमाएं निर्धारित करते हुए पहले से ही अंतिम अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। कुछ मामलों में, मसौदा

अधिसूचनाएँ लंबित हैं और कुछ अन्य मामलों में, मसौदा और अंतिम अधिसूचनाएँ जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित हैं।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए एक समान सीमा नहीं हो सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि

किसी विशेष राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के लिए एक समान सीमा भी नहीं हो सकती है। कभी-कभी, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर यह एक तरफ लंबा और दूसरी तरफ छोटा हो सकता है।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों का निपटारा धारा 18 के प्रावधानों के तहत किया जाता है -

25 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का ए (इसके बाद "1972 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) जबकि ई. एस. जेड. में रहने वाले नागरिकों के अधिकारों का कोई समझौता नहीं है। वहाँ के नागरिक अभी भी रह रहे हैं और खेती आदि जैसे अपने दैनिक व्यवसाय को भी जारी रखे हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्कूलों, औषधालयों के निर्माण जैसी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियाँ,

ऐसे क्षेत्रों में आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र आदि शुरू करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, लेकिन यदि कोई निर्माण न करने का निर्देश जारी रखा जाता है, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति अपनी जमीन पर घर बनाने या पुनर्निर्माण करने की स्थिति में नहीं होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीसीसीएफ की अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया है बहुत थकाऊ। यदि ऐसा निर्देश जारी किया जाता है, तो पी. सी. सी. एफ. के पास ऐसी गतिविधियों को जारी रखने के लिए आवेदनों पर विचार करने के अलावा कोई अन्य काम नहीं बचेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि इस न्यायालय ने कहा है कि

3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 54 में कहा गया है कि उक्त दिशानिर्देश उचित हैं, फिर भी इसने ऐसे निर्देश जारी किए हैं जो उक्त दिशानिर्देशों के विपरीत हैं।

12. यह आगे तर्क दिया जाता है कि 2003 के आई. ए. सं. 1000 में मुद्दा

जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में और उसके आसपास खनन गतिविधियों के निषेध और उक्त वन्यजीवों के लिए ईएसजेड निर्धारित करने तक सीमित था। केवल अभयारण्य। इस प्रकार, विभिन्न राज्य सरकारों को इस न्यायालय को संबोधित करने का अवसर नहीं मिला।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हम इसे उचित पाते हैं

ई. एस. जेड./बफर जोन के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख करना।

14. इस तरह के आदेशों में से पहला इस न्यायालय द्वारा 16 तारीख को पारित किया गया था।

2 सितंबर 2005। उक्त आदेश के अनुच्छेद 13 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 13. हमने श्री द्वारा दायर 14-9-2005 दिनांकित शपथ पत्र का अवलोकन किया है। एम. ओ. ई. एफ. की ओर से अनुराग बाजपेयी और बयान

पिछले दो वर्षों में अस्थायी कार्य अनुमति का अनुदान अर्थात

1-1-2003 राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और वनों में 31-12-2004 तक

कि सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण निराशाजनक दिखाता है तस्वीर और वह जल्द ही लेने के लिए एक आवेदन दायर करेगा

संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई। फाइलिंग लंबित है

उक्त आवेदन और आगे के आदेशों के बारे में हम फिर से दोहराते हैं कि

पर्यावरण कानूनों के अनुपालन के बिना, विशेष रूप से

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति, नहीं

अस्थायी कार्य अनुमति या अस्थायी अनुमति या कोई अन्य खनन के लिए किसी भी नाम से अनुमति दी जाएगी।

उपरोक्त क्षेत्रों में गतिविधियाँ। हम आगे निर्देश देते हैं कि कोई खनन नहीं किसी भी अस्थायी कार्य अनुमति के तहत गतिविधि जारी रहेगी।

या अनुमति जो दी गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि

यह अन्यथा है, उस प्रभाव के लिए एक शपथ पत्र के भीतर दायर किया जाएगा इस तरह की अनुमति का विवरण देते हुए दो सप्ताह।

[जोर दिया गया]

2 (2006) 5 एस. सी. सी. 25 आर. ई.:

15. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी अस्थायी के तहत किसी भी खनन गतिविधि को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्य अनुमति या अनुमति जो दी गई हो।

16. यह आगे उक्त आदेश के पैराग्राफ 15 को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 15. एम. ओ. ई. एफ. को बफर ज़ोन के क्षेत्र और अन्य संबंधित मामलों जैसे कि यह सार्वभौमिक या स्थान विशिष्ट होना चाहिए, के सवाल पर अपने दृष्टिकोण को तीन सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है। यह राष्ट्रीय बोर्ड का दृष्टिकोण प्राप्त करने के बाद भी किया जाना चाहिए

वन्यजीवों का "।

17. इस प्रकार उक्त अनुच्छेद से यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने एम. ओ. ई. एफ. को तीन सप्ताह के भीतर अपने दृष्टिकोण को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया

बफर ज़ोन के क्षेत्र का प्रश्न और अन्य संबंधित मामले जैसे कि यह सार्वभौमिक या स्थान विशिष्ट होना चाहिए। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि यह एन. बी. डब्ल्यू. एल. का दृष्टिकोण प्राप्त करने के बाद किया जाना चाहिए।

18. इस तरह के आदेशों में से दूसरा 4 अगस्त 2006 को पारित किया गया। द.

उक्त आदेश मूल रूप से राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। न्यायालय ने विभिन्न पूर्व शर्तें निर्धारित कीं जिनमें अस्थायी कार्य अनुमति दी जा सकती है।

19. अगला आदेश 4 दिसंबर 2006 ए को पारित किया जाता है। उक्त आदेश में न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की

उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए उपाय शुरू करने और जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मई 2005 को जारी पत्र का जवाब नहीं देने के लिए सरकारें। उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 3. यह आदेश पहले 30-1-2006 [गोवा में पारित किया गया था।

फाउंडेशन वी। भारत संघ, (2011) 15 एस. सी. सी. 793] उस निर्णय को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कि. मी. के भीतर के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए 21-1-2002 पर लिया गया था। 27-5-2005 दिनांकित पत्र 21-1-2002 के निर्णय से अलग है। वर्तमान में, इस मामले में, हम हैं

इस प्रस्थान की शुद्धता पर विचार नहीं करना। ऐसा हो रहा है।

एक अन्य मामले में अलग से जांच की गई। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे महत्व नहीं दिया है

3 (2010) 13 एससीसी 740 4 (2011) 15 एससीसी 791 [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसकी रक्षा के लिए अधिकांश कानूनों को दिया जाना आवश्यक है।

रियो घोषणा, 1992 के बाद बनाया गया वातावरण।

4. मंत्रालय को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने दिनांकित 27-5-2005 पत्र का जवाब देने का अंतिम अवसर देने का निर्देश दिया गया है। गोवा राज्य को भी उचित प्रस्ताव देने की अनुमति है।

इसके अलावा जो कहा जाता है कि केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं

अब भी मंत्रालय से सूचना प्राप्त होने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर, इस न्यायालय को अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के निर्णय को लागू करने के लिए आदेश पारित करने पर विचार करना पड़ सकता है।

वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण और एहतियाती सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्र। यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब जवाब देने में विफल रहते हैं, तो वे ऐसा करेंगे।

अपने जोखिम और खतरे पर "।

20. यह देखा जा सकता है कि यह न्यायालय 30 जनवरी 2006 के अपने पहले के आदेश का उल्लेख करता है जिसमें दिनांकित निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

21 जनवरी 2002 से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित करना। हालांकि आदेश में लिखा है कि 27 मई 2005 का पत्र निर्णय से अलग है। 21 जनवरी 2002 को लिए जाने पर, न्यायालय ने कहा कि उक्त मामले में, न्यायालय उक्त प्रस्थान की शुद्धता पर विचार नहीं कर रहा था। द.

इसलिए अदालत ने मंत्रालय को सभी को अंतिम अवसर देने का निर्देश दिया

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 27 मई 2005 के अपने पत्र का जवाब देंगे। उक्त आदेश में कहा गया है कि संचार में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि मंत्रालय से संचार प्राप्त होने के चार सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्ताव नहीं भेजे गए थे, तो इस न्यायालय को 21 जनवरी 2002 को लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए आदेश पारित करने पर विचार करना पड़ सकता है, यानी अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को ईएसजेड के रूप में अधिसूचित करना।

21. इस न्यायालय का अगला आदेश गोवा फाउंडेशन बनाम के मामले में 21 अप्रैल 2014 का है। भारत संघ और अन्य '। यह होगा।

उक्त आदेश में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिकः

5 (2014) 6 एस. सी. सी. 590 आर. ई.:

" 49. ..... परिणाम यह है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के आसपास एक किलोमीटर सुरक्षा क्षेत्र के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं होगी और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों की सीमाओं से एक किलोमीटर के इस क्षेत्र के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं हो सकती है।

गोवा राज्य में अभयारण्य "।

22. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव के आसपास सुरक्षा क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं होगी।

अभयारण्य और इसे लागू करना होगा। यह भी दोहराया जाता है कि गोवा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं से एक किलोमीटर के इस क्षेत्र के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं हो सकती है।

23. इसके बाद न्यायालय ने उक्त मामले में 4 दिसंबर 2006 (ऊपर) के पूर्व आदेश का उल्लेख किया और इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 50. ..... यह दिनांकित 4-12-2006 [गोवा फाउंडेशन बनाम] आदेश से स्पष्ट होगा। भारत संघ, (2011) 15 एस. सी. सी. 791] ने इस न्यायालय से कहा कि इस न्यायालय ने वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 कि. मी. के भीतर के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है। दिनांक 4-12-2006 [गोवा] के आदेश के अनुसार

फाउंडेशन वी। भारत संघ, (2011) 15 एस. सी. सी. 791] तथापि, इस न्यायालय के पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देश दिया गया था कि वे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्ताव का जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दें और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को उन मामलों को भी संदर्भित करें जिनमें सीमाओं से 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर गतिविधियों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण। इसलिए इस न्यायालय का खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई अंतरिम या अंतिम निर्देश नहीं है।

राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर गतिविधियाँ।

24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि इस न्यायालय ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया था

21 जनवरी 2002 को वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को ईएसजेडएस के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि (2023) 6 एस. सी. आर. को प्रतिबंधित करने वाला कोई अंतरिम या अंतिम निर्देश नहीं है।

राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर खनन गतिविधियाँ।

25. उक्त आदेश के पैराग्राफ 87.3 और 88.1 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

तिरुमुलपद बनाम। इस न्यायालय के भारत संघ, (2010) 13 एस. सी. सी. 740] को इस न्यायालय द्वारा टी. एन. गोडावर्मन में आई. ए. संख्या 1000 में संशोधित किया गया है। तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ, राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं से एक किलोमीटर के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं हो सकती है और

गोवा में अभयारण्य।

88.1 . एम. ओ. ई. एफ. गोवा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की अधिसूचना छह साल की अवधि के भीतर इस फैसले में चर्चा की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी करेगा।

आज से महीनों बाद। "

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक 4 अगस्त 2006 (ऊपर) के आदेश को इस न्यायालय द्वारा आई. ए. सं. 1000 में संशोधित नहीं किया जाता है।

2003 का टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम के मामले में। भारत संघ, गोवा में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं से एक किलोमीटर के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं हो सकती है। न्यायालय ने एमओईएफ को प्रक्रिया का पालन करने के बाद गोवा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास ईएसजेड की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया

उक्त निर्णय में चर्चा की गई। उक्त आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया गया था।

27. अगला प्रासंगिक आदेश 11 दिसंबर 2018 का होगा। उक्त आदेश के निम्नलिखित भाग को संदर्भित करना प्रासंगिक होगाः

" विद्वान ए. एस. जी. ने हमें सूचित किया है कि 104 राष्ट्रीय उद्यान और 558 वन्यजीव अभयारण्य हैं जिससे कुल 662 बन गए हैं।

देश में राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य।

इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव 641 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से प्राप्त हुए हैं। 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और 289 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

26.11.2018 पर और अधिसूचना का मसौदा तैयार किया गया है

206 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का सम्मान।

इन आरईः टी. एन. गोदावरीमन तिरुमुलपद बनाम भारत और अन्य का संघ [बी. आर. गवई, जे.]

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के साथ प्रक्रिया में है

परिवर्तन (एम. ओ. ई. एफ.) के साथ-साथ 4,146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ।

हम उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना के मसौदे की तैयारी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगा।

और जल्द से जल्द अंतिम अधिसूचना जारी करना।

21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए प्रस्ताव जिनके संबंध में प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

एम. ओ. ई. एफ. इस प्रकार हैः

विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह मुद्दा दिसंबर, 2006 में कुछ समय से लंबित है। 12 वर्ष बीत गए हैं-लेकिन राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों के संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

ऊपर वर्णित अभयारण्य।

इन परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि 10 किलोमीटर का क्षेत्र

इन 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। घोषणा यह होगी कि

एम. ओ. ई. एफ. द्वारा जल्द से जल्द किया गया।

राज्य सरकारों को एमओईएफ को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के केवल दो सप्ताह बाद प्रस्ताव के साथ इस आदेश में संशोधन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

28. यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने विद्वान एएसजी की दलीलें दर्ज की हैं कि 104 राष्ट्रीय उद्यान और 558 वन्यजीव थे। देश में कुल 662 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं। यह भी दर्ज किया गया कि इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को ईएसजेड घोषित करने के प्रस्ताव राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुए थे। यह आगे देखा जा सकता है कि 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसने आगे दर्ज किया कि प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया था और 26 नवंबर 2018 तक 289 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी और 206 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में मसौदा अधिसूचना तैयार की गई थी। इसलिए न्यायालय को उम्मीद थी कि एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. अधिसूचना का मसौदा तैयार करने और [2023] 6 एस. सी. आर. के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ेगा।

जल्द से जल्द अंतिम अधिसूचना जारी करें। न्यायालय ने तब 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को अभिलिखित किया जिनके संबंध में प्रस्ताव थे।

एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. को अभी तक इस पीड़ा के साथ प्राप्त नहीं हुआ है कि हालांकि 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों और उद्यानों के संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

उक्त क्रम में नामित वन्यजीव अभयारण्य। इसलिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन 21 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. द्वारा ई. एस. जेड. घोषित किया जाए। स्वतंत्रता थी।

राज्य सरकारों को उक्त आदेश में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति दी गई। हालांकि, इसने आगे निर्देश दिया कि आवेदन ईएसजेड की घोषणा के प्रस्ताव के साथ होना चाहिए।

29. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोवा फाउंडेशन के मामले में इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने निर्देश दिया था कि एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी.

प्रक्रिया का पालन करें और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (इसके बाद "1986 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के तहत ईएसजेड की अधिसूचना जारी करें। 1986 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 5. उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंध और प्रतिबंध और विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और संचालन को जारी रखना।

क्षेत्रों। (1) केंद्र सरकार उद्योगों के स्थान को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करते समय और उद्योगों में प्रक्रियाओं और संचालन को जारी रखते हुए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रख सकती है।

विभिन्न क्षेत्रः

((iii) किसी उद्योग, प्रक्रिया या संचालन से पर्यावरणीय प्रदूषकों के संभावित उत्सर्जन या निर्वहन को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। या प्रतिबंधित।

((iv) किसी क्षेत्र की स्थलाकृतिक और जलवायु संबंधी विशेषताएँ। (v) उस क्षेत्र की जैविक विविधता, जिसकी राय में -

केंद्र सरकार को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

(vi) पर्यावरण के अनुकूल भूमि उपयोग। (vii) किसी उद्योग, प्रक्रिया या संचालन के कारण होने वाले कुल प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है या

प्रतिबंधित।

6 ' (2014) 6 एससीसी 590 आरईः

(ix) मानव बस्तियों की निकटता। (x) कोई अन्य कारक जिस पर केंद्रीय सरकार विचार कर सकती है।

सरकार का किसी क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक होना।

(3) (क) जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसके स्थान पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाना समीचीन है। एक उद्योग या किसी क्षेत्र में प्रक्रियाओं और संचालन का संचालन, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे अन्य तरीके से जो केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे, ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना दे सकती है।

(ख) खंड (क) के तहत प्रत्येक अधिसूचना उस क्षेत्र में क्षेत्र, उद्योगों, संचालन, प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण देगी जिसके बारे में ऐसी अधिसूचना संबंधित है और यह भी निर्दिष्ट करेगी। उद्योगों के स्थान और प्रक्रियाओं को जारी रखने पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाने के कारण या

उस क्षेत्र में संचालन।

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को लिखित रूप में। (घ) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी अधिसूचना के खिलाफ प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करेगी और [सात [2023] 6 एस. सी. आर. के भीतर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
एक सौ पच्चीस दिन [, और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर राज्यों के संबंध में

असाधारण परिस्थिति और पर्याप्त कारणों से प्रकाशन की ऐसी तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की आगे की अवधि के भीतर] ऐसे उद्योगों के स्थान और किसी भी प्रक्रिया को जारी रखने पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगा दें या
एक क्षेत्र में संचालनः

[बशर्ते कि कोविड-19 महामारी के कारण, इस खंड के उद्देश्य के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में समाप्त होने वाली अधिसूचना की वैधता की अवधि [30 जून, 2022] या महीने के अंत से छह महीने तक बढ़ाई जाएगी जब प्रासंगिक अधिसूचना बिना किसी कारण के समाप्त हो जाती।

विस्तार, जो भी बाद में हो।]

[(4) उप-नियम (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जब भी केंद्र सरकार को ऐसा करना जनहित में प्रतीत होता है, तो वह खंड के तहत नोटिस की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है।

(क) उप-नियम (3) का।] ”
30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1986 के नियमों के नियम 5 में एक

निर्दिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया। उक्त शक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 (v) से प्रवाहित होती है।

31. 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (viii) के अवलोकन से पता चलेगा कि जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनमें से एक है

ई. एस. जेड. घोषित करने के लिए विचार 1972 के अधिनियम के तहत अधिसूचित अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, खेल अभयारण्य या बंद क्षेत्र की निकटता है। 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम 3 (ए) में कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत हो कि इसे लागू करना समीचीन है

निषेध या प्रतिबंध, ऐसा करने के अपने इरादे की सूचना देना आवश्यक है

ताकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसे अन्य तरीके से जो केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक समझे। के अनुसार

नियम 5 के उप-नियम 3 (बी) के अनुसार ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में उस क्षेत्र, उद्योगों, संचालन प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक है जिसके बारे में ऐसी अधिसूचना संबंधित है और उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाने के कारणों को भी निर्दिष्ट करना आवश्यक है।

उस क्षेत्र में प्रक्रियाओं या संचालन को आगे बढ़ाना। तदनुसार, नियम 5 के उप-नियम 3 (सी) के अनुसार, आरई में आपत्ति दर्ज करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्तिः

साठ के भीतर केंद्र सरकार को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से दिन। इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रावधान किया

1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के तहत इस तरह के निषेध को लागू करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करना आवश्यक है या

एक क्षेत्र में प्रतिबंध। यह 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (सी) के तहत प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ईएसजेड को अधिसूचित करने के लिए 1986 के नियमों के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

32. यह ध्यान देने योग्य है कि एमओईएफ एंड सीसी ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों के आसपास ईएसजेड की घोषणा के लिए उक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं

अभयारण्य। 33. उक्त दिशानिर्देश 21 जनवरी 2002 को आयोजित भारतीय वन्यजीव बोर्ड की एक बैठक का उल्लेख करते हैं, जिसमें "वन्यजीव संरक्षण"

रणनीति-2002 "को अपनाया गया। उक्त रणनीति के बिंदु संख्या 9 में परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को 1972 के अधिनियम की धारा 3 (v) और 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (1) के खंड (viii) के तहत पर्यावरण-नाजुक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि जब सभी राज्य सरकारों से विचार प्राप्त किए गए थे, तो कुछ राज्य सरकारों ने संरक्षित क्षेत्र सीमा से 10 किलोमीटर की सीमा को लागू करने पर चिंता जताई थी और सूचित किया था कि इन राज्यों में महत्वपूर्ण शहरों सहित अधिकांश मानव बस्ती और अन्य क्षेत्र ईएसजेड के दायरे में आएंगे और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। उक्त दिशानिर्देश राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) का भी उल्लेख करते हैं। एन. बी. डब्ल्यू. एल. ने 17 मार्च 2005 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि ई. एस. जेड. का परिसीमन स्थल विशिष्ट होना चाहिए और इससे संबंधित होना चाहिए -

34. इसके बाद उक्त दिशानिर्देश इस न्यायालय के दिनांक 4 दिसंबर 2006 के निर्देशों का उल्लेख करते हैं। यह वैधानिक प्रावधानों को भी संदर्भित करता है। जैसा कि 1972 के अधिनियम की धारा 5सी (1), 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 1986 के नियमों के नियम 5 में निहित है। उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उद्देश्य

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास ई. एस. जेड. घोषित करने का अर्थ है संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का आघात अवशोषक बनाना। वे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करेंगे। यह एनबीडब्ल्यूएल के निर्णय को भी दोहराता है कि [2023] 6 एस. सी. आर.

ई. एस. जेड. में गतिविधियाँ निषेधात्मक प्रकृति के बजाय एक नियामक प्रकृति की होंगी जब तक कि और अन्यथा इसकी आवश्यकता न हो। उक्त दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में से कई अपनी सीमाओं के निकट पहले ही जबरदस्त विकास कर चुके हैं। यह गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र आदि को संदर्भित करता है और नोट करता है कि संरक्षित क्षेत्र शहरी व्यवस्था में स्थित हैं। इसलिए यह देखा गया है कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ईएसजेड की सीमा को परिभाषित करने के लिए लचीला और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट रखना होगा। यह नोट करता है कि ई. एस. जेड. एस. की चौड़ाई और नियमों का प्रकार एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में भिन्न होगा।

क्षेत्र। हालाँकि यह नोट करता है कि, एक सामान्य सिद्धांत के रूप में, ईएसजेड की चौड़ाई एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकती है जैसा कि वन्यजीव संरक्षण रणनीति-2002 में प्रदान किया गया है। यह आगे नोट करता है कि जहां संवेदनशील गलियारे, संपर्क और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पैच हैं, लैंडस्केप लिंकेज के लिए महत्वपूर्ण, 10 किलोमीटर चौड़ाई से भी अधिक हैं, इन्हें ईएसजेड में शामिल किया जाना चाहिए। यह आगे नोट करता है कि किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में भी, ईएसजेड के एक क्षेत्र का वितरण और विनियमन की सीमा चारों ओर समान नहीं हो सकती है और यह हो सकता है

परिवर्तनीय चौड़ाई और विस्तार। उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हालांकि इस न्यायालय द्वारा कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कई अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसा नहीं किया है ई. एस. जेड. की घोषणा के प्रस्तावों के साथ आगे आएं। यह देखा गया कि यह शायद इस संबंध में दिशानिर्देशों की कमी के कारण हो सकता है। यह आगे नोट करता है कि इस न्यायालय ने अपने 3 तारीख के फैसले और आदेश में

दिसंबर 2010 में ओखला पक्षी अभयारण्य के पास नोएडा में उद्यान के निर्माण से संबंधित एक मामले में कहा गया कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ईएसजेड को अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि भारत सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए थे।

35. इसके बाद यह पारिस्थितिक रूप से निर्धारित करने के लिए मापदंडों की पहचान करने के लिए श्री प्रणब सेन की अध्यक्षता में समिति को संदर्भित करता है भारत में संवेदनशील क्षेत्र।

36. इसके बाद उक्त दिशानिर्देश पैराग्राफ 6 में बताते हैं कि ईएसजेड को अधिसूचित करने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास की कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि ईएसजेड के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

संरक्षित क्षेत्र को शामिल करते हुए नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियाँ। इसमें कहा गया है कि इसकी दिशा में पहला कदम एक सूची तैयार करना है विभिन्न भूमि उपयोग पैटर्न और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, प्रकार और प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के आसपास काम करने वाले उद्योगों की संख्याः

साथ ही महत्वपूर्ण गलियारे। इसमें कहा गया है कि सूची संबंधित रेंज अधिकारियों द्वारा की जा सकती है, जो सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर गतिविधियों का जायजा ले सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि एक समिति जिसमें संबंधित वन्यजीव वार्डन, एक पारिस्थितिकीविद्, स्थानीय स्वशासन के एक अधिकारी और राजस्व विभाग के एक अधिकारी शामिल हैं।

निम्नलिखित सुझाव देने के लिए संबंधित क्षेत्र के विभाग का गठन किया जा सकता हैः

संरक्षित क्षेत्र के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तार

((i)

विचार किया।

((ख)

आघात अवशोषक के रूप में कार्य करने के लिए इस तरह के क्षेत्र की आवश्यकता

पारिस्थितिकी के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम तरीकों का सुझाव देना।

(iii)

संवेदनशील क्षेत्र, इसलिए सुझाए गए।

व्यापक आधारित विषयगत गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव देना।

((iv)

क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान।

37. यह आगे नोट करता है कि उपरोक्त के आधार पर, मुख्य वन्यजीव वार्डन निम्नलिखित श्रेणियों के तहत गतिविधियों को समूहित कर सकता हैः

((i)

वर्जित

((ii) सुरक्षा उपायों के साथ प्रतिबंधित।

(111) अनुमति है।

38. इसके बाद उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एक बार ई. एस. जेड. के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे एम. ओ. ई. एफ. और पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

आगे की प्रक्रिया और अधिसूचना के लिए सी. सी. प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों की एक सांकेतिक सूची भी संलग्न की गई है।

उक्त दिशानिर्देश।

39. उक्त दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि जहां किसी संरक्षित क्षेत्र की सीमा किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगती है

जहां यह किसी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, वहां दोनों राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि वे परस्पर परामर्श करें और संरक्षित क्षेत्र के आसपास ईएसजेड की चौड़ाई पर निर्णय लें। उक्त दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकार को लोगों को एक बहुत मजबूत संदेश देने का प्रयास करना चाहिए।

यह सार्वजनिक करें कि ईएसजेड उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय, उनके इलाके में बहुमूल्य वनों/संरक्षित क्षेत्रों को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाने और पर्यावरण को परिष्कृत करने के लिए हैं।

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास। यह आगे नोट करता है कि ये दिशानिर्देश [2023] 6 एस. सी. आर. हैं।

प्रकृति में सूचक और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इन में लागू विशिष्ट दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में इनका उपयोग कर सकती हैं।

संरक्षित क्षेत्रों पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अधिमानतः समाप्त करने की दृष्टि से उनके राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण गलियारों आदि का संदर्भ।

40. उन गतिविधियों की सूची जो निषिद्ध, विनियमित और

अनुमति उक्त दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-I में निहित है, जो इस प्रकार हैः

निषिद्ध विनियमित

$ 1 . गतिविधि

अनुमत टिप्पणियां

नहीं।

वाणिज्यिक

नियमन

नहीं होगा

1 .

वाई.

खुदाई करने

से रोकें

खनन

निर्माण के

लिए मिट्टी

या घरों की

मरम्मत के लिए

टाइल्स या

ईंटें

व्यक्तिगत के लिए आवास

पेड़ों की कटाई

2 .

वाई.

से अनुमति

लेकर
उपयुक्त प्राधिकारी

आरी की सेटिंग

वाई.

आइं

मिलों की

सेटिंग

वाई.

4 .

उद्योगों के कारण

प्रदूषण (जल,

हवा, मिट्टी। , शोर,

आदि)

स्वीकृत

मास्टर के अनुसार

की स्थापना

5 .

वाई.

होटल और रिसॉर्ट

योजना, जो

ध्यान रखती है

आवासों की

अनुमति नहीं है

पर प्रतिबंध

जंगली

आंदोलन
जानवर

व्यावसायिक उपयोग

6 .

वाई.

होटलों और

अन्य के लिए

जलाऊ लकड़ी

व्यवसाय से

संबंधित
स्थापना

7. जबरदस्त बदलाव

वाई.

कृषि प्रणालियाँ

8 .

व्यावसायिक उपयोग

वाई.

स्वीकृत

मास्टर के अनुसार

प्राकृतिक जल

योजना, जो

ध्यान रखती है
आवासों की अनुमति नहीं है

सहित संसाधन

पर प्रतिबंध

भूजल

जंगली

आंदोलन

कटाई

जानवर।

वाई.

की स्थापना

9 .

प्रमुख पनबिजली

परियोजनाएं

भूमिगत को

बढ़ावा दें

10 . का निर्माण

वाई.

केबलिंग

विद्युत केबल

11 . जारी है।

हालांकि,

अत्यधिक

वाई.

कृषि और

कुछ का

विस्तार

इन

गतिविधियों को करना चाहिए

बागवानी

स्थानीय प्रथाएँ

के अनुसार

विनियमित किया जाए

मास्टर

प्लान

आरई में समुदायः

सक्रिय होना चाहिए

12 . बारिश का पानी

वाई.

कटाई

पदोन्नत किया गया

13 . की बाड़

वाई.

होटलों के परिसर और लॉज

सक्रिय होना चाहिए

14 . जैविक खेती

वाई.

पदोन्नत किया गया

15 . पॉलिथीन का उपयोग

वाई.

थैले दुकानदारों

सक्रिय होना चाहिए

16 . नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

वाई.

पदोन्नत किया गया

ऊर्जा के स्रोत

17 . सड़कों का चौड़ीकरण

वाई.

ऐसा
करना चाहिए।

उचित ई.
आई. ए. और
शमन के उपाय

वाई.

व्यापार के
लिए

18 . का आंदोलन

वाहनों की आवाजाही

उद्देश्य

रात।

वाई.

19 . परिचय

विदेशी प्रजातियाँ

उत्पादन का उपयोग

20 .

वाई.

किसी भी खतरनाक
पदार्थ

21 .

उपक्रम

संबंधित गतिविधियाँ

पर्यटन की तरह
राष्ट्रीय उड़ान

पार्क किसी भी तरह से है
विमान, गर्म हवा

गुब्बारे
पहाड़ी का संरक्षण

22 .

मास्टर
प्लान के अनुसार

वाई.

ढलान और नदी
बैंक

का निर्वहन

23 .

वाई.

जल निकाय या
स्थलीय हैं

हवाई और वाहन

24 .

वाई.

प्रदूषण

साइन बोर्ड &

25 .

वाई.

मास्टर
प्लान के अनुसार

होर्डिंग्स

सक्रिय
होना चाहिए

वाई.

26 .

हरे रंग को अपनाना

सभी के लिए प्रौद्योगिकी

पदोन्नत किया गया।

गतिविधियाँ

41. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ 54 में

दिनांक 3 जून 2022 (उपर्युक्त) ने वास्तव में उक्त दिशानिर्देशों को उचित माना है और स्थायी समिति के विचार को भी स्वीकार किया है।

एन. बी. डब्ल्यू. एल. के संबंध में एक समान दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं

ई. एस. जेड. के रखरखाव के लिए प्रत्येक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। यह भी देखा जाता है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और [2023] 6 एस. सी. आर. जैसे अभयारण्य हैं।

मुंबई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान विशेष मामले बनाएगा। उक्त अनुच्छेद 54 यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" 54. हमारी राय में, 9-2-2011 पर बनाए गए दिशानिर्देश उचित प्रतीत होते हैं और हम स्थायी समिति के इस विचार को स्वीकार करते हैं कि ESZ को बनाए रखने के लिए प्रत्येक अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में समान दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं। हम उनमें से हैं

तथापि, राय है कि संरक्षित वनों के संबंध में न्यूनतम 1 कि. मी. ई. एस. जेड. की चौड़ाई बनाए रखी जानी चाहिए, जो श्रेणी बी के संबंध में सी. ई. सी. की सिफारिशों का हिस्सा है।

संरक्षित वन। यह मानक सूत्र होगा, जो विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन के अधीन होगा। हमने सी. ई. सी. पर विचार किया है

यह सिफारिश कि ई. एस. जेड. को संरक्षित वन से आच्छादित क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन स्थायी समिति का यह विचार कि संरक्षित वन का क्षेत्र हमेशा एक उचित मानदंड नहीं हो सकता है, भी विचार के योग्य है। हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि 1 किमी चौड़ा "नो-डेवलपमेंट-ज़ोन" सभी मामलों में संभव नहीं हो सकता है और मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और चेन्नई महानगर के लिए विशिष्ट उदाहरण दिए गए थे, जिनमें शहरी गतिविधियाँ बहुत निकटता में हैं।

ये अभयारण्य विशेष मामले बनाएँगे।

43. आवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और बाघ अभयारण्यों के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के परामर्श से उनकी जांच की जाती है। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जाता है। वे हैं। संबंधित हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया है। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों को संकलित और जांचा जाता है और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से इस पर अवलोकन करने की मांग की जाती है। उपरोक्त

आवश्यकताएँ 1986 के नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

44. आवेदन में आगे कहा गया है कि इसके बाद प्रस्ताव को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के भीतर ई. एस. जेड. के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है। उक्त समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान

((i)

संगठन,

((ख)

जल शक्ति मंत्रालय,

(111) ग्रामीण विकास मंत्रालय,

(3 भारतीय वन सर्वेक्षण,

(v)

नगर और देश योजना संगठन, सरकार

भारत,

(vi) 3 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण,
(vii)

भारतीय वन्यजीव संस्थान,

(viii) जी. बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड

विकास,

(ix) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद,

(x) विश्व वन्यजीव कोष,

(xi)

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण,

(xii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,
(xiii) सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र

(एस. सी. ओ. एन.)।

45. आवेदन में आगे कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति (ईएसजेड) की सिफारिश के आधार पर, मंत्रालय ईएसजेडएस की अधिसूचना को अंतिम रूप देता है और कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा उचित कानूनी जांच के बाद, ईएसजेड को निर्दिष्ट करने वाली अंतिम अधिसूचनाएं। संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ई. एस. जेड. निर्धारित करने वाली अंतिम अधिसूचना को

अधिसूचित करने से पहले वन्यजीव पारिस्थितिकी, वन आदि में विशेषज्ञता रखने वाले 13 संगठनों से आने वाली विशेषज्ञों की समिति द्वारा विचार सहित एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

46. भारत संघ द्वारा दायर आवेदन में, यह इंगित करने के लिए विभिन्न चित्र दिए गए हैं कि कैसे यदि निर्देश पैराग्राफ में जारी किए गए हैं

56.5 3 जून 2022 (ऊपर दिए गए) के आदेश को संशोधित नहीं किया गया है, एक गंभीर

लाखों लोगों को परेशानी होगी। हम नीचे उसी का उल्लेख करते हैं:

" नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य के आसपास ईएसजेड

((i)

आंध्र प्रदेश में 0 से 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके भीतर 100 गाँव स्थित हैं (ईएसजेड का शून्य विस्तार [2023] 6 एस. सी. आर. है।

कृष्णा नदी और अंतरराज्यीय सीमा के कारण

तेलंगाना);

((ख)

वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि के आसपास ईएसजेड

0 से 9 किलोमीटर तक और इसके भीतर 323 गाँव स्थित हैं (ईएसजेड का शून्य विस्तार पश्चिमी तरफ साझा करने की ओर है। उत्तर प्रदेश के साथ अंतर-राज्य सीमाएँ और

अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला उत्तरी भाग नेपाल);

(iii)

बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्यजीव के आसपास ईएसजेड झारखंड में अभयारण्य और महुआदानर भेड़िया अभयारण्य 0 से 9 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके भीतर 382 गाँव स्थित हैं (ईएसजेड का शून्य विस्तार अंतर-राज्य के कारण है।

सीमा);

(iv) कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास ईएसजेड

1 से 14.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके भीतर 107 गाँव स्थित हैं।

(v)

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फेन वन्यजीव के आसपास ईएसजेड

मध्य प्रदेश में अभयारण्य 0 से 30 तक फैला हुआ है।

किलोमीटर और 168 गाँव इसके भीतर स्थित हैं (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का शून्य विस्तार पूर्वी तरफ है।

छत्तीसगढ़ के साथ अंतरराज्यीय सीमा);

(vi) ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व के आसपास ईएसजेड

महाराष्ट्र 3 से 6 किलोमीटर और 150 गाँवों तक फैला हुआ है। इसके भीतर स्थित हैं;

(vii) राजस्थान में जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के आसपास ईएसजेड 1.6 से 8.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 83 गाँव हैं -

इसमें स्थित हैः

(viii) यहां तक कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का एक छोटा ईएसजेड भी जो 0.5 से 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

इसमें 22 गाँव स्थित हैं।

47. इस प्रकार यह पता चलेगा कि नागार्जुनसागर के आसपास ईएसजेड में

आंध्र प्रदेश में इलम टाइगर रिजर्व, 100 गाँव स्थित हैं। बिहार में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय और वाल्मीकि बाघ अभयारण्य के आसपास ईएसजेड में 323 गाँव स्थित हैं।

बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू वन्यजीव अभयारण्य, आई. एन. आर. ई. के आसपास ई. एस. जेड.:

यदि उनके परिवार में कोई विस्तार है और बढ़े हुए परिवार को समायोजित करने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्माण की आवश्यकता है, तो भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, अगर सरकार स्कूलों, औषधालयों, आंगनवाड़ियों, गाँव की दुकानों, पानी की टंकी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करने का निर्णय लेती है। ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए संरचनाओं की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का प्रभाव राज्य या केंद्र सरकार को सड़कों के निर्माण से रोकने और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए होगा।

गाँव वालों को सुविधाएँ।

49. यदि 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है, तो वन विभागों के लिए भी पर्यावरण का संचालन करना असंभव होगा।

पारिस्थितिकी-विकास गतिविधियों के लिए। इन गतिविधियों में अक्सर छोटी संरचनाओं का निर्माण शामिल होता है जो इन क्षेत्रों में स्थायी प्रकृति की होती हैं। ईएसजेडएस। उदाहरण के लिए, जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं:

((i) सामुदायिक भवनों, पुलों, झाड़ियों का निर्माण

फर्श, मछली सुखाने के प्लेटफॉर्म, पीने के पानी का भंडारण आदि।

स्थानीय समुदायों/गांवों के लाभ के लिए; [2023] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वन चौकियों, निगरानी मीनारों का निर्माण और

((ख)

वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के लिए अन्य संरचनाएँ;

(iii)

व्याख्या केंद्रों, शौचालयों और अन्य का निर्माण

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में आगंतुकों की पर्यावरण शिक्षा के लिए बुनियादी संरचनाएँ।

सी. सी. ने 17 मई 2022 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें आवश्यक है कि ई. आई. ए. अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी गतिविधि, जब किसी अधिसूचित ई. एस. जेड. में आयोजित किया जाता है, या राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मामले में जिनके लिए कोई ई. एस. जेड. अंततः अधिसूचित नहीं किया गया है, जब ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के 10 किलोमीटर के भीतर आयोजित किया जाता है, तो 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी के अलावा एन. बी. डब्ल्यू. एल. या इसकी स्थायी समिति के विचार और सिफारिश की आवश्यकता होती है।

एक्ट करें। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट ई. एस. जेड. अधिसूचना के अनुसार विनियमित गतिविधियों के लिए उस अधिसूचना के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि बड़े पैमाने पर निर्माण और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं जो वन्यजीव आवासों के विकास और रखरखाव के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देश है कि मौजूदा गतिविधियों को जारी रखने के लिए भी, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पीसीसीएफ की अनुमति आवश्यक होगी, तो यह बना रहेगा।

यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सैकड़ों गाँव होंगे जिनमें लाखों लोग रहेंगे, पीसीसीएफ के पास ऐसी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति के लिए ऐसे आवेदनों पर विचार करने के अलावा कोई अन्य नौकरी नहीं बचेगी। कृषि गतिविधियों को जारी रखने के इच्छुक किसान को भी इस तरह की अनुमति लेनी होगी। हम पाते हैं कि इस तरह के निर्देश को लागू करना असंभव है। 51. हमारा विचार है कि यदि इस तरह की दिशा को जारी रखा जाता है, तो मानव-पशु संघर्ष से बचने के बजाय, यह उसी को तेज करेगा। जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में देखा गया है, ईएसजेड घोषित करने की आवश्यकता नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुमूल्य वनों/संरक्षित क्षेत्रों को किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के पर्यावरण को परिष्कृत करना है।

52. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, ई. एस. जेड. एस. की आवश्यकता संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक बफर ज़ोन प्रदान करना है। संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के अधिकारों को 1972 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है और ऐसे ग्रामीणों का संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पुनर्वास किया जाता है। हालाँकि, ई. एस. जेड. क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अधिकारों का ऐसा कोई समझौता उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है, ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालना नहीं है। यदि जारी किए गए निर्देश को जारी रखा जाता है, तो यह निश्चित रूप से ईएसजेड में रहने वाले नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा डालेगा। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उक्त दिशा को संशोधित करने की आवश्यकता है।

53. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एन. बी. डब्ल्यू. एल. ने 17 मार्च 2005 की अपनी बैठक में ई. एस. जेड. एस. का परिसीमन करने की भी सिफारिश की है।

गतिविधियों के निषेध के बजाय विनियमन के रूप में पेश किया जाना चाहिए। 54. जैसा कि एक राज्य के वकील ने बताया कि सुल्तान बत्तेरी प्रखंड पंचायत का पूरा नगरपालिका क्षेत्र स्थित है।

ESZ क्षेत्र के भीतर।

55. जहां तक 3 जून 2022 (उपर्युक्त) के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में दिए गए निर्देश का संबंध है, विभिन्न आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि इस न्यायालय ने ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की सीमांकित सीमा से किसी भी न्यूनतम क्षेत्र का निर्देश नहीं दिया है। ई. एस. जेड. घोषित किया जाने वाला क्षेत्र

समान नहीं हो सकता है और संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होगा। कुछ मामलों में, यह एक तरफ 10 किलोमीटर और दूसरी तरफ 500 मीटर हो सकता है। कुछ मामलों में, अंतर-राज्य सीमाओं या संरक्षित क्षेत्र के एक तरफ से परे समुद्र या नदी के आधार पर एक समान न्यूनतम क्षेत्र होना संभव नहीं हो सकता है। किसी भी मामले में, एक विस्तृत प्रक्रिया की आवश्यकता है

जैसा कि 1986 के नियमों के नियम 5 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसका हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। हम पाते हैं कि 1986 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक बार ऐसी अधिसूचना जारी होने के बाद, ईएसजेड को उक्त अधिसूचना के अनुसार होना होगा।

अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में और इस तरह से प्रकाशित किया जाना आवश्यक है कि केंद्र सरकार इसके लिए आवश्यक समझे। समय-समय पर। इस तरह की मसौदा अधिसूचना पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज करने का हकदार है।

पता लगाएँ कि केंद्र सरकार को मसौदा अधिसूचना का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि सभी इच्छुक व्यक्तियों को ऐसी मसौदा अधिसूचना जारी करने के बारे में जानकारी हो।

57. यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त का पालन करने के बाद

प्रक्रिया में, इस मामले को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें सापेक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 13 संगठन शामिल होते हैं। इस प्रकार, ई. एस. जेड. क्षेत्र को निर्दिष्ट करने से पहले, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे कई कारक हैं जो किसी विशेष संरक्षित क्षेत्र के लिए ई. एस. जेड. निर्धारित करेंगे। परिस्थितियाँ एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। इस प्रकार, हम पाते हैं कि एक समान एक किलोमीटर ई. एस. जेड. निर्धारित करने वाली दिशा को संशोधित करने की आवश्यकता है।

58. यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान दाखिल करने की तारीख को

474 संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में आवेदन, अंतिम अधिसूचनाएं जारी की गई हैं जबकि मसौदा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं

सम्मान करें।

ई. एस. जेड. में एक किलोमीटर को बनाए रखा जाना चाहिए, 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.6 में ही, यह देखा गया है कि ई. एस. जेड. की न्यूनतम चौड़ाई को भारी जनहित में कम किया जा सकता है, लेकिन उस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) और एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. से संपर्क करने की आवश्यकता है। इसने आगे कहा है कि ये दोनों निकाय अपने-अपने अधिकार देंगे। इस न्यायालय के समक्ष और उस आधार पर, न्यायालय को उचित आदेश पारित करना चाहिए।

59. जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, ईएसजेड की आवश्यकता है

1986 के नियमों और उक्त दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इस तरह की अधिसूचनाएँ तब तक जारी नहीं की जा सकती हैं जब तक कि विशेषज्ञ द्वारा जांच सहित विभिन्न स्तरों पर गहन जांच न की जाए। समिति में 13 संगठनों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस प्रकार, हम पाते हैं कि 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.6 में निहित निर्देश को भी संशोधित करने की आवश्यकता है।

60. जहाँ तक खनन पर प्रतिबंध का संबंध है, हम हैं

इस न्यायालय का यह विचार सुसंगत रहा है कि आर. ई. सीमा के एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर खनन गतिविधियाँः

संरक्षित क्षेत्रों में से कुछ वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगे। हालाँकि गोवा फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में, उक्त निर्देश गोवा राज्य के संबंध में जारी किए गए थे, हम पाते हैं कि ऐसे निर्देश अखिल भारतीय आधार पर जारी किए जाने की आवश्यकता है।

61. इसलिए हम वर्तमान आई. ए. को अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं। दिनांक 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में निर्देश को संशोधित किया गया है।

और स्पष्ट किया कि इसमें निहित निर्देश ई. एस. जेड. एस. पर लागू नहीं होंगे, जिसके संबंध में एक मसौदा और अंतिम अधिसूचना जारी की गई है।

एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. द्वारा जारी किए गए और मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में।

62. हालाँकि, हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि मसौदा अधिसूचना का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (ए) के प्रावधानों के तहत। हम आगे निर्देश देते हैं कि 1986 के नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (डी) के तहत प्रकाशित होने वाली अंतिम अधिसूचना को जारी करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी नहीं किया जाएगा।

63. यह भी निर्देश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की अंतिम अधिसूचना से व्यथित है, वह सीधे इस न्यायालय से संपर्क करने का हकदार होगा

वर्तमान कार्यवाहियों में आवेदन दायर करके।

64. हम आगे स्पष्ट करते हैं कि 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.1 में निहित निर्देश लागू नहीं होगा।

जहाँ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर-राज्य सीमाओं पर स्थित हैं और/या समान सीमाएँ साझा करते हैं। 65. हम 3 जून 2022 (उपरोक्त) के आदेश के पैराग्राफ 56.4 में निहित निर्देश को भी संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी।

66. हम दिनांक 3 जून 2022 (ऊपर) के आदेश के पैराग्राफ 56.5 में निहित निर्देशों को भी संशोधित करते हैं और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित करते हैं:

((i)

एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी. और सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें 9 फरवरी 2011 के उक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगी और इसी तरह ई. एस. जेड. अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधानों का भी सख्ती से पालन करेंगी।

निषिद्ध गतिविधियों, विनियमित गतिविधियों और अनुमेय गतिविधियों के संबंध में संबंधित संरक्षित क्षेत्र; 634

((ख)

हम आगे निर्देश देते
हैं कि पर्यावरण प्रदान करते हुए और

ए.

संरक्षित क्षेत्रों के
बाहर ईएसजेड और अन्य क्षेत्रों में परियोजना गतिविधियों के लिए वन मंजूरी, भारत संघ के साथ-साथ विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें एमओईएफ एंड सीसी द्वारा जारी 17 मई 2022 के कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगी।

बी.

67. अन्य सभी वर्तमान आई.
ए. का निपटारा किया जाएगा -

उपरोक्त। कोई लागत नहीं।

निधि जैन
(तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)